श्री... कुमार सिंह, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 11.09.2013 को प्र... कार्यालय, मझौलिया का किए गए औचक निरीक्षण की टिप्पणी :-

दिनांक 11.09.2013 को 04.15 बजे अप0 प्रखण्ड कार्यालय, मझौलिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य सामने आया :-

1. **रोकड़बही :-**

निरीक्षण के क्रम में रोकड़बही का अवलोकन किया। दिनांक 01.09.2013 तक संधारित पाया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं नाजिर को चेतावनी दी जाती है कि वे रोकड़बही का अद्यतन संधारण सुनिश्चित करें।

अनुपालन :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं नारिज

2. **नोट बुक :-**

प्रखण्ड कार्यालय के प्रधान सहायक के नोट बुक का अवलोकन किया। नोट बुक संधारित नहीं पाया गया। दिनांक 30.09.2013 तक संधारित कर अनुपालन प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-नाजिर)

3. **कन्या विवाह योजना :-**

कन्या विवाह योजना के सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि 37,79,969=00 रुपये अवशेष है। पृच्छा किये जाने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 तक कन्या विवाह के लाभार्थी के बीच चेक का वितरण किया गया है। उन्हें सख्त चेतावनी संसूचित करते हुए निदेशित किया जाता है कि उपलब्ध राशि के आलोक में अविलम्ब लाभार्थियों के बीच चेक वितरण शिविर लगाकर सुनिश्चित करेंगे। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो उससे संबंधित आकलन कर जिला से राशि की मांग करें।

अनुपालन :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

5. **आर.टी.पी.एस. :-**

निरीक्षण के क्रम में आर0टी0पी0एस0 काउंटर से प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध निष्पादित आवेदनों की सूची का अवलोकन किया गया। विभिन्न प्रकार के पेंशन से संबंधित 38, पारिवारिक

श्री अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 11.09.2013 को प्रखण्ड कार्यालय, मझौलिया का किए गए औचक निरीक्षण की टिप्पणी :–

दिनांक 11.09.2013 को 04.15 बजे अप0 प्रखण्ड कार्यालय, मझौलिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य सामने आया :–

1. **रोकड़बही :–**

निरीक्षण के क्रम में रोकड़बही का अवलोकन किया। दिनांक 01.09.2013 तक संधारित पाया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं नाजिर को चेतावनी दी जाती है कि वे रोकड़बही का अद्यतन संधारण सुनिश्चित करें।

अनुपालन :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं नारिज

2. **नोट बुक :–**

प्रखण्ड कार्यालय के प्रधान सहायक के नोट बुक का अवलोकन किया। नोट बुक संधारित नहीं पाया गया। दिनांक 30.09.2013 तक संधारित कर अनुपालन प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–नाजिर)

3. **कन्या विवाह योजना :–**

कन्या विवाह योजना के सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि 37,79,969=00 रुपये अवशेष है। पृच्छा किये जाने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 तक कन्या विवाह के लाभार्थी के बीच चेक का वितरण किया गया है। उन्हें सख्त चेतावनी संसूचित करते हुए निदेशित किया जाता है कि उपलब्ध राशि के आलोक में अविलम्ब लाभार्थियों के बीच चेक वितरण शिविर लगाकर सुनिश्चित करेंगे। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो उससे संबंधित आकलन कर जिला से राशि की मांग करें।

अनुपालन :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

5. **आर.टी.पी.एस. :–**

निरीक्षण के क्रम में आर0टी0पी0एस0 काउंटर से प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध निष्पादित आवेदनों की सूची का अवलोकन किया गया। विभिन्न प्रकार के पेंशन से संबंधित 38, पारिवारिक

श्री अभय कुमार सिंह, *भा०प्र०से०*, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 11.09.2013 को प्रखण्ड कार्यालय, मझौलिया का किए गए औचक निरीक्षण की टिप्पणी :–

दिनांक 11.09.2013 को 04.15 बजे अप0 प्रखण्ड कार्यालय, मझौलिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य सामने आया :–

1. **रोकड़बही :–**

निरीक्षण के क्रम में रोकड़बही का अवलोकन किया। दिनांक 01.09.2013 तक संधारित पाया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं नाजिर को चेतावनी दी जाती है कि वे रोकड़बही का अद्यतन संधारण सुनिश्चित करें।

अनुपालन :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं नारिज

नोट बुक :–

प्रखण्ड कार्यालय के प्रधान सहायक के नोट बुक का अवलोकन किया। नोट बुक संधारित नहीं पाया गया। दिनांक 30.09.2013 तक संधारित कर अनुपालन प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–नाजिर)

3. **कन्या विवाह योजना :–**

कन्या विवाह योजना के सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि 37,79,969=00 रुपये अवशेष है। पृच्छा किये जाने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 तक कन्या विवाह के लाभार्थी के बीच चेक का वितरण किया गया है। उन्हें सख्त चेतावनी संसूचित करते हुए निदेशित किया जाता है कि उपलब्ध राशि के आलोक में अविलम्ब लाभार्थियों के बीच चेक वितरण शिविर लगाकर सुनिश्चित करेंगे। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो उससे संबंधित आकलन कर जिला से राशि की मांग करें।

अनुपालन :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

5. **आर.टी.पी.एस. :–**

निरीक्षण के क्रम में आर0टी0पी0एस0 काउंटर से प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध निष्पादित आवेदनों की सूची का अवलोकन किया गया। विभिन्न प्रकार के पेंशन से संबंधित 38, पारिवारिक

लाभ योजना के 18 एवं कन्या विवाह योजना के 12 आवेदन निर्धारित समय अवधि बीत जाने के बावजूद लंबित दिखाया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर उपरोक्त के आलोक में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर एक सप्ताह के अंदर वित्तीय दण्ड अधिरोपित कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

(अनुपालन :–अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया/प्रभारी पदा0, आर0टी0पी0एस0)

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1649/गो. दिनांक 16.09.2013

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझौलिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय प्रभारी, मझौलिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा/जिला स्थापना उपसमाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 कोषांग/आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास , पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1649/गो. दिनांक 16.09.2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।